

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023 / 110

दायरा तिथि : 21.07.2023

आदेश तिथि : 12-12-24

प्रार्थी :- साधियानी जावेद हुसैन पुत्र अब्दुल कादर भाई मेनन जाति मेमन निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली राज.

ब न म

अप्रार्थी :-

जीवाराम पुत्र भीकाराम जाति कुम्हार निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 12-12-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2276/3996 रकबा 0.2800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2273 रकबा 0.4300 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा-मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1323 दिनांक 13.08.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि आवेदक खातेदार की धारित भूमि आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, और मौके पर भी कोई रास्ता नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है। इससे कम दूरी का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि ग्राम नाना में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2273	0.43 हैक्टर	बा. अ.	48x4.50=216 वर्गमीटर	जीवाराम पुत्र भीकाराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा. देह खातेदार

4. यह कि भू-अभिलेख निरीक्षक नाना की रिपोर्टनुसार प्रस्तावित भूमि के खसरा नंबर 2273 की डी. एल.सी. दर 3,13,364 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है। खसरा नंबर 2273 की माट पर पत्थर जमाए हुए है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जीवाराम बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपरिथत रहने से अप्रार्थी जीवाराम के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सहायक क्लर्क एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024 / 118

अनवान साथियानी जावेद हुसैन बनाम जीवाराम

अतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2276/3996 रकबा 0.2800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1323 दिनांक 13.08.2024 से नया रेकॉर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2276/3996 रकबा 0.2800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2273 रकबा 0.4300 हैक्टर में से 216 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 3,13,364 /-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2273	0.43 हैक्टर	48X4.50=216 वर्गमीटर	32	6912X2=13824	जीवाराम पुत्र भीकाराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा. देह खातेदार.

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 13824/- (अक्षरे तेरह हजार आठ सौ चौबिस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जाये। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2024/ 2485- 2489
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक, भू-अभि. नाना तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. नाना द्वारा
3. पटवारी हल्का, नाना
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक साथियानी जावेद हुसैन पुत्र अब्दुल कादर भाई मेनन जाति मेमन निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली राज. को सूचनार्थ।

(दिनांक लिखना है)
सहायक सहायक एवं देय
सहायक अधिकारी बाली
दिनांक : 13-12-2024

सहायक सहायक एवं देय
सहायक अधिकारी बाली

नम्रुल नम्रशा किरतकर
गाम - नाना
तह - बाली
जिला - पाली

1113

1118/2

1118/1

1118

1119

1120/1

1120

1124

1125

सुरताता

2289/2

2289

2286 2292

2285

2285/1

4245/2284

4244/2284

2283

2282

2273

2276/3996

2272

2275

2276

2277

2260

2293/11

2293/10

2293/12

2293/9

2293/9

2293/13

2911/2293

2280/1

2280/5

2280/7


2280/6

2280/9

2280/8

2280

2280/8



2259

2255

2256

2257

2258

2251

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
जवळील अधिकारी, पाली